

न्यायलय, अनुमंडल कक्षाधिकारी, तुंडू (रांची)

वाफ सं- M- 37/2012

धारा - 145 के अंतर्गत

गोकुल महतो - - - - - प्रथम पक्ष

ललित महतो <sup>वनाम</sup> कौरह - - - - - द्वितीय पक्ष

16/3/12

आवेदक के आवेदन एवं उनके विद्वान  
अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के  
पश्चात मौजा - खेकुवाडीह थाना - तमाड़  
थाना सं- 217 खाता सं- 20 प्लॉट सं- 79  
रकबा - 0.14 एकड़ (चौथी अर - शला  
द- रामेश्वर महतो, 50 - प्रथम पक्ष एवं द्वितीय  
पक्ष प- स्कूल घर) तथा खाता सं-  
25 प्लॉट खेला-स रकबा - 0.04 एकड़  
(चौथी अर - शला द- रामेश्वर महतो  
50 - गोकुल महतो प्रथम पक्ष का घर, प-  
प्रथम पक्ष) शर्त पर उपर पक्षों के बीच  
विवाद है।



अतः आवेदक के आवेदन एवं  
उनके विद्वान अधिवक्ता के दलीलों को  
संबुद्ध होकर दंड प्रक्रिया संहिता की  
धारा - 145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ  
करता हूँ। उपर पक्षों को कारण-बद्ध  
नोटिस निर्गत करे।

अभिनेश्वर सिंहा 23/3/12 का (20)

अनुमंडल कक्षाधिकारी  
तुंडू (रांची)



क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
6-08-21	अगिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष अधिवक्ता हाजरी। प्रथम पक्ष जवाबी दिनांक 27/09/2021 को रखे। 1/8/18	
22/09/2021 08/10/2021	अगिलेख उपस्थापित। वाद-दंड का (प्रतिवादी कोर्ट के काल पर को अड्डा दंडा के सामने के (प्रतिवादी आगत जाता है) दिनांक 12/02/2022 को रखे। 08/10 अड्डा दंडा	
12/02/2022	अगिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 19/03/2022 को रखे। 12/02 अड्डा दंडा	
19/03 26/04/22	पीठाधीन दंडा- द्वितीय पंचायत निर्वाचन कार्य में चल। दिनांक 31/05/2022 को रखे। 1 दंडा	
31.05.2022	अगिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। वाद में उभय पक्ष सूचना के बाद भी लातार अनुपस्थित है। वाद में दोनों पक्षों के द्वारा पेंच करना छोड़ दिये हैं। प्रतीत होता है कि वाद में	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश का तारीख
31-05-2022	<p>उभय पक्षों में किली प्रकार का दखल-कब्जा को लेकर शांति गैंग दोनों की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद ही कार्रवाही को जारी रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभिलेख की कार्रवाही को बन्द की जाती है।</p> <p>लेखापित्र एवं संशोधित</p>	
	<p>                      आनंद कुलकर्णी,                      सुपुं (रॉजी)</p>	<p>                      आनंद कुलकर्णी,                      सुपुं (रॉजी)</p>